राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ.2 (1) डीओपी/ए–II/2003 जयपुर, दिनांक : 17·5·2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 11 का संशोधनः–** राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 11 में,–

(i) परन्तुक (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चार वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) अधिसूचना संख्यांक एफ.2(1) डीओपी/ए–II/2003 दिनांक 13.06.2005 द्वारा अंतःस्थापित विद्यमान निम्नलिखित परन्तुक (5):–

"(5) अधिसूचना संख्यांक एफ.7(2) डीओपी/ए–II/84–पार्ट दिनांक 25.06.2004 के उपबन्ध इन नियमों के नियम 11 के खण्ड (ख) पर लागू नहीं होंगे।"

हटाया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

17/5/2018
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव।

23/2018